



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)
(सं0 पटना 469) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

3 मार्च 2021

सं0 5 न0वि0/गठन-15/2020-998/न0वि0एवंआ0वि0— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले रोहतास जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4258 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना नं0	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
01	नगर पंचायत चेनारी	चेनारी-477 भरन्दुआ-476 हाटा-472 बनौली-475 लॉजी-474	चेनारी (सम्पूर्ण भाग) तथा हाटा तथा बनौली (आंशिक भाग)	उत्तर - हाटा-472 दक्षिण -पेवन्दी-484 पूरब - लोधी-480 पश्चिम - दुर्गावती नदी लॉजी-474	19596

2. इस क्षेत्र को नगर पंचायत चेनारी कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 469-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>